रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-454/2023/2935/22-2-2023-17(1010)/2022

लखनऊ:दिनांक: 21 जुलाई, 2023

शुद्धि-पत्र

बन्दी पप्पी उर्फ अरूण कुमार (बन्दी सं0-26560) पुत्र श्री रमाशंकर उर्फ रामा ठेकेदार की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर कारागार से मुक्ति विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-433/2023/ 3350/22-2-2022-17(1010)/2022 दिनांक 10 जुलाई, 2023 के फार्म-घ (डी) की आठवीं पंक्ति में टंकण त्रुटिवश अंकित 'जिला प्रोबेशन अधिकारी, फतेहगढ़' के स्थान पर 'जिला प्रोबेशन अधिकारी, कानपुर नगर' पढ़ा एवं समझा जाय।

2 उक्त शासनादेश दिनांक 10-07-2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-454/2023/2935(1)/22-2-2023 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त शासनादेश दिनांक 10-07-2023 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
3- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in